

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : F 21()/ Sch/2024-25/margdarshan/ SJED/2024 /15725

दिनांक : 29/8/2024

आदेश

निर्देशानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 5550 दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी निर्देश सत्र 2023-24 हेतु यथावत रहेंगे।

अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृत्ति)

क्रमांक : F 21()/ Sch/2024-25/ SJED/2024 /15726-760

दिनांक : 29-8-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सान्याअवि, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोगामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
5. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).....।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृत्ति)

Signature valid

Digitally signed by Murchi Meena
Designation: Additional Director
Date: 2024.08.29 17:51:18 IST
Reason: Approver



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक : एफ 9(4)()/छात्रवृत्ति/पोर्टल/कार्ययोजना /2022/5550

जयपुर दिनांक : 17/03/2023

आदेश

विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 2022-23 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु जारी आदेश क्रमांक 3469 दिनांक 16.06.2022 के बिन्दु संख्या 1 (ब) में अंकित अनुसार "गत परीक्षा में 60 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी" की अनिवार्यता को वर्तमान सत्र हेतु अनुमानित बजट आवंटन व केन्द्र द्वारा जारी अलोकेशन अनुसार वर्ष 2022-23 के आवेदन पत्रों के लिये हटाया जाता है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 17 प्राथमिकताओं वाली श्रेणियों में प्राप्त आवेदन पत्रों में समस्त पात्र आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण किया जावे।


(हरि म्मेहन मीना)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)()/छात्रवृत्ति/पोर्टल/कार्ययोजना /2022/5551-69 जयपुर दिनांक : 17/03/2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, वीकानेर/जयपुर।
6. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
9. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
10. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
11. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
12. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
13. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
14. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।

15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रावधान करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
16. उप निदेशक प्रचार-प्रसार प्रशाखा, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
17. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
18. उप/सहायक निदेशक सान्याअवि समस्त को सूचनार्थ।
19. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)
17.3.23